फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

[illegible] बनाम गुलाब चन्द

प्रकरण संख्या:– 111/2021

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
18/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।
19/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हों।
20/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/1/25 को पेश हों।
2/1/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] पर [illegible] उभयपक्षों को [illegible] पुनः उभयपक्ष व पत्रावली [illegible] दस्तावेजात अवलोकन करने पर [illegible] प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र [illegible] वादी का वाद [illegible] CPC स्वीकार कर [illegible] पत्रावली में खारिज किया जाता है [illegible] लिखवाया जाकर [illegible] पत्रावली शामिल पत्रावली [illegible] फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पदासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 111/2021
निर्णय दिनांक : 02.01.2025

उनवान नारायण सैनी बनाम गुलाबचन्द व अन्य

वाद दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी
निर्णय

दिनांक 02.01.2025

वादीगण की ओर से पेश वाद बाबत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 816, 821B, 819, 820, 822, 824, 817 का पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का पेश हुआ। जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हिस्सेदार है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के दादा/पिता की पुश्तैनी जमीन है। जिसमे सभी पक्षकारो की सहमति से मौखिक रूप से बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज है एवं सहखातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 विधिक बंटवारा करवाये बिना ही उक्त जमीन को विक्रय व निर्माण पर आमादा है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे का वाद पत्र है। वाद पत्र मे किये गये अभिवचनो के अनुरूप न्यायालय को सर्वप्रथम वाद के अभिवचनो के अनुरूप यह अवलोकन करना है कि पक्षकारान सगे भाई व भतीजे है तथा पक्षकारान द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि के सहखातेदार है। वादी व प्रतिवादीगण की उक्त सामलाती भूमि को अपने दादा/पिता की मौजूदगी में ही मौखिक बंटवारा कर वादी व प्रतिवादीगण ने अपने मकानात पशु बाडा व अपने अपने हिस्से स्वरूप बंटवारा कर तारबंदी बाउण्डीवाल व पक्का निर्माण कर वर्षो से अपनी अपनी कब्जे पर काबिज आ रहे है। उसी अनुरूप पक्षकार द्वारा उक्त विवादित भूमि मे कॉलोनी विकसित कर अपने अपने हिस्से स्वरूप आये भूखण्डो को विक्रय कर पक्षकारान ने विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से मे आये भूखण्डो की संख्या निम्न प्रकार से है:– भूखण्ड संख्या 2, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के भूखण्डो की संख्या 3, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 के भूखण्डो की संख्या 1, 9, 21 का कुछ हिस्सा व 22, 23, 24, 25 व 26 का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हिस्सा है तथा वादी के भूखण्ड संख्या 5, 10, 11, 12, 13, 14, 14–ए तथा 15 का हिस्सा है। इस प्रकार पक्षकारान द्वारा अपनी पुश्तैनी शामलाती भूमि का बंटवारा कर के अपने हिस्से पर काबिज है। वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 मे उक्त वर्णित कृषि का मौखिक रूप से बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होना स्वीकार किया के कारण वादी का वाद पत्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वाद मात्र आपसी रंजिश के चलते झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त मे का तकासमा मौखिक रूप से आपसी सहमति से किया जाकर मकानात व निर्माण कर जली कनेक्शन व पानी कनेक्शन करवाकर अपने अपने हिस्से पर काबिज है। केवल मात्र तिवादी संख्या 3 को हैरान व परेशान करने के उददेश्य से वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वाद पत्र मे स्पष्ट रूप से यह भी अभिवचन किया है कि मौखिक रूप से पक्षकारान के बीच तकासमा हो चुका है तथा सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा वादी अपने हिस्से पर मकान बनाकर विधुत कनेक्शन लेकर बाउण्डीवाल का निर्माण कर काबिज है तथा उक्त वर्णित विवादित भूमि पर पूर्ण रूप से कॉलोनी विकसित हो चुकी है। जिसकी रिपोर्ट मौका कमिश्नर व कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार सांगानेर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हो चुकी है। जिसमे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विवादित भूमि मे कॉलोनी विकसित हो चुकी है तथा उक्त विवादित भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। माननीय न्यायालय द्वारा कार्यालय तहसीलदार सांगानेर से कुरेजात रिपोर्ट चाही जो तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 13.08.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष कुरेजात रिपोर्ट पेश की जिस पर मौके पर व्यवसायिक दुकानात व आवासीय मकान बने हुए है आम रास्ते बने हुए है भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ काम आ रही है। जिससे माननीय न्यायालय को यह वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छुपाते हुए न्यायालय के समक्ष आधारहीन व बिना साक्ष्य के दावा प्रस्तुत किया है। जिससे न्यायालय का कीमती समय खराब हुआ है। वादी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत वाद पत्र को एक लाख रूपये के हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावे। अन्य तथ्य व उज्जात बहस मौखिक न्यायालय के समक्ष अर्ज किये जायेगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र मय भारी हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थीगण / वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब पेश हुआ जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सेदार
स्वीकार है शेष वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। जो आदेश 7 नियम 11 की
सीमा मे नही आते है। वाद पत्र तकासमा की प्रकृति का प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण
ग्रस्त भूमि का मौखिक बटवारा होने के उपरान्त भी वादी के हक हिस्से की भूमि पर
अधिकृत कब्जा करने का प्रयास करते रहते है तथा दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने का
स करते रहते है इस कारण ही वादी द्वारा यह वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष
त किया है जिसमे वादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत तकासमा करवाने का अधिकारी
वह वादग्रस्त भूमि का तकासमा करवाने के पक्ष मे नही है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का
ाब भी पेश नही किया गया था जिसके उपरान्त माननीय तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा
तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी. सी. को खारिज फरमा दिया है। आदेश 7
यम 11 सी.पी.सी. के तहत मात्र कानूनी बिन्दुओ के आधार पर ही आपत्ति की जाती है
सका उल्लेख प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित नही है आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के
त मात्र कानूनी बिन्दुओ के आधार पर ही आपत्ति की जाती है जिसका उल्लेख प्रार्थी
रा प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि तथा कृषि भूमि से सम्बन्धित
करण व कृषि भूमि के बटवारे से सम्बन्धित प्रकरणो की सुनवाई का अधिकार श्रीमान्
ायालय को ही हांसिल है इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे
र्चे के खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि गलत
ने के कारण अस्वीकार है। समस्त साक्ष्य व गवाह वाद पत्र के विचारण के समय श्रीमान्
ायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया
ावे।

पत्रावली में वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी
हस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में अंकित तथ्यो को दौहराते
ए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन
किया। वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम
1 जाब्ता दीवानी को खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की
स पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पहुँचे है कि वादी ने वाद पत्र मे स्पष्ट रूप से यह
अभिवचन किया है कि मौखिक रूप से पक्षकारान के बीच तकासमा हो चुका है तथा सभी
कारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा वादी अपने हिस्से पर मकान बनाकर विधुत

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...लेकर बाउण्डीवाल का निर्माण कर काबिज है तथा उक्त वर्णित विवादित भूमि पर पूर्ण ...कॉलोनी विकसित हो चुकी है। जिसकी रिपोर्ट मौका कमिश्नर व कुर्रेजात रिपोर्ट ...दार सांगानेर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पेश हो चुकी है। जिसमे स्पष्ट रूप से ...किया गया है कि विवादित भूमि मे कॉलोनी विकसित हो चुकी है तथा उक्त विवादित ...गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। इस न्यायालय द्वारा कार्यालय तहसीलदार ...नेर से कुरेजात रिपोर्ट चाही जो तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 13.08.2022 को ...लय के समक्ष कुरेजात रिपोर्ट में मौके पर व्यवसायिक दुकानात व आवासीय मकान बने है आम रास्ते बने हुए है भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ काम आ रही है। इस प्रकार प्रार्थी ...तिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर ...दीगण का वाद खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 ...यम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद वाके ग्राम सांगानेर तहसील ...गानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 816, 8218, 819, 820, 822, 824, 817 का खारिज ...या जाता है। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर